



मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल - 462 016

फोन नं. 0755.2430154, 2464643, फैक्स न. 2981055

ई-मेल - secmperc@sancharnet.in, वेबसाइट- www.mperc.in

क्रमांक: एम.पी.ई.आर.सी./2020/ 284

भोपाल दिनांक: 13/02/2020

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक... 49 / 2019)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा “मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी-35 (II) वर्ष 2015) दिनांक 17 दिसंबर, 2015 को अधिसूचित किया गया जिसका प्रकाशन दिनांक 18 दिसंबर, 2015 के राजपत्र में किया गया था। आयोग द्वारा इन विनियमों में द्वितीय संशोधन दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को अधिसूचित किया जिनका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 15 नवम्बर 2019 को प्रकाशित हुआ।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि. जबलपुर (जिन्हें “याचिकाकर्ता” उल्लेखित किया गया है), राज्य शासन की पूर्ण स्वमित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है एवं इसके द्वारा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ दिनांक 05 जून, 2012 को प्रबंधन एवं कॉर्पोरेट कार्यों बाबत अनुबंध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 की सकल राजस्व आवश्यकता की पूर्ति तथा दर निर्धारण के लिए 29.11.2019 को याचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 11.12.2019 को आयोजित सुनवाई में याचिका को स्वीकार किया है एवं याचिकाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 के खुदरा विद्युत दर आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन हेतु निर्देशित किया। तत्संबद्ध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 03.01.2020 को सुनवाई के दौरान दो सप्ताह का अतिरिक्त समय चाहा गया जिसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। आयोग ने एतद् द्वारा अब सुझावकर्ताओं के सुझाव आमंत्रित करने का विनिश्चय किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति हेतु समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा दर प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित है:-

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता –

(सभी आंकड़े रु करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स-बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पाँ.मै.कं. की लागत सहित)	8,318	8,912	12,157	29,387
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	543	560	671	1,774
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार (राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित)	845	900	1,083	2,828
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	220	263	193	676
कर्मचारी व्यय	1,386	1,331	1,480	4,197
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामक आयोग की फीस सहित)	206	120	171	497
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं सँदिग्ध ऋण)	25	24	57	106
अवमूल्यन	371	388	318	1,077
व्याज एवं वित्त प्रभार	281	376	289	946
पूँजी पर प्रतिलाभ	387	332	290	1,009
सकल राजस्व आवश्यकता	12,582	13,206	16,709	42,497
घटायें अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	362	293	509	1,164
कुल राजस्व आवश्यकता	12,220	12,913	16,199	41,332
म.प्र. पाँवर ट्रांसको की सत्यापन याचिका का प्रभाव	0	0	0	0
म.प्र. पाँवर जेनको की सत्यापन याचिका का प्रभाव	0	0	0	0
म.प्र. वितरण कंपनियों की सत्यापन याचिका का प्रभाव	0	0	0	0
सत्यापन राशि को शामिल कर सकल राजस्व आवश्यकता (अ)	12,220	12,913	16,199	41,332
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	11,624	12,286	15,422	39,332
कुल राजस्व अंतर (अ – ब)	596	627	777	2,000
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	12,220	12,913	16,199	41,332
औसत विद्युत प्रदाय लागत (रु. प्रति यूनिट)	6.58	6.83	7.05	6.84

याचिका कर्ताओं द्वारा रु 2000 करोड़ के राजस्व अंतर की भरपाई वित्तीय वर्ष 2020-21 की दरों के माध्यम से करने का प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व अन्तर रूपये 2000 करोड़ की भरपाई करने हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दर-श्रेणीवार औसत वृद्धि निम्नानुसार है:-

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त राजस्व	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि. यूनिट	रु करोड़ मे	रु करोड़ मे	रु करोड़ मे	प्रतिशत में
एल.व्ही-1	घरेलू	15609	9808	10326	518	5.28%
एल.व्ही-2	गैर-घरेलू	3525	3101	3139	38	1.23%
एल.व्ही-3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथ प्रकाश	1346	861	918	57	6.62%
एल.व्ही-4	निम्नदाब उद्योग	1437	1213	1247	34	2.80%
एल.व्ही-5	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	23916	13261	14138	877	6.61%
एल.व्ही-6	ई.व्ही. चार्जिंग	3	2	2	0	0.00%
योग (निम्नदाब)		45837	28245	29771	1526	5.40%
एच.व्ही-1	रेल्वे कर्षण	111	54	54	0	0.00%
एच.व्ही-2	कोयला खदाने	494	426	442	16	3.76%

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त राजस्व	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि. यूनिट	रु करोड़ मे	रु करोड़ मे	रु करोड़ मे	प्रतिशत में
एच.व्ही-3.1	औद्योगिक	7922	6213	6512	299	4.81%
एच.व्ही-3.2	गैर औद्योगिक	1137	1058	1075	17	1.61%
एच.व्ही-3.3	शॉपिंग मॉल	114	95	98	3	3.16%
एच.व्ही-3.4	गहन पावर उद्योग	2990	1972	2067	95	4.82%
एच.व्ही-4	मौसमी	27	25	26	1	4.00%
एच.व्ही-5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवं कृषि संबंधित अन्य उपयोग	1291	918	951	33	3.59%
एच.व्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	451	304	314	10	3.29%
एच.व्ही-7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	18	16	17	1	6.25%
एच.व्ही-8	ई.व्ही. चार्जिंग	9	5	5	0	0.00%
योग (उच्चदाब)		14563	11087	11562	475	4.28%
योग (निम्नदाब + उच्चदाब)		60400	39332	41332	2000	5.09%

उपरोक्त प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा टैरिफ की संरचना तथा उनकी सामान्य निबंधन एवं शर्तों में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है जो कि याचिका के अंतर्गत विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है। मुख्य परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है:

1. **घरेलू:** अनुसूची एल.व्ही. 1.2 में विनिर्दिष्ट डी.टी.आर मीटर के द्वारा विद्युत प्रदाय की दरों को समाप्त करना प्रस्तावित है।
2. **गैर-घरेलू:** अनुसूची एल.व्ही. 2.2 में विनिर्दिष्ट निम्न-दाब पर मेला हेतु (बहु-बिन्दु संयोजनों सहित) अस्थाई विद्युत प्रदाय दर को समाप्त करना प्रस्तावित है।
3. **निम्न-दाब दरों के सामान्य निबंधन एवं शर्तें:** बिलिंग में स्पष्टतः हेतु निम्न दाब पर अस्थाई प्रदाय की अतिरिक्त शर्तों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
4. **उच्च-दाब औद्योगिक, गैर-औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल:** प्रधान रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदाय करने वाले संभारकों द्वारा किये जा रहे प्रदाय हेतु प्रयोज्य छूट को समाप्त करना प्रस्तावित है।
5. **निम्न-दाब दरों के सामान्य निबंधन एवं शर्तें:** एच.व्ही.-6 श्रेणी में त्रि पक्षीय अनुबंध के उपबंध में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
6. निम्न-दाब पर सभी अस्थाई संयोजनों हेतु संबंधित श्रेणी के सामान्य दर के 1.25 गुना पर विद्युत प्रदाय करना प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.01.2020 द्वारा निम्न संशोधन प्रस्तावित किया है।

- विद्युत-दर (टैरिफ) अनुक्रमांक एलवी-5.2 रोपणियों (नर्सरी) तथा कुकुरमुत्ता (mushroom) उगाने वाले कृषि क्षेत्रों (farms) हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।
- टाइम ऑफ़ डे अधिभार/छूट निम्न.दाब विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एलवी-6 के अंतर्गत विद्युत-वाहन/विद्युत-रिक्शा प्रभारण (चार्जिंग) केन्द्र हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगी।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां अथवा टीप अथवा सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक **7 मार्च 2020** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियों/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई-मेल (secmperc@sancharnet.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती हैं जिनकी मूल प्रतियां दिनांक **7 मार्च 2020** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक **7 मार्च 2020** के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी / हिंदी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक **14 फरवरी 2020** से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. लि., ब्लॉक न. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., ब्लॉक न. 7, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., पोलोग्राउण्ड, इन्दौर, अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए रू. **1000/-** के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर, अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र.पूर्व वि.वि.कं.लि., जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड इन्दौर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. गोविन्दपुरा भोपाल क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की संक्षेपिका नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in, www.mpwz.co.in एवं www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

आयोग के आदेशानुसार

सचिव